

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील 2191-एक/16 जिला -जबलपुर

कमलसिंह बरकड़े उम्र 32 वर्ष

पिता श्री विसिंह बरकड़े (गोंड)

निवासी घाट पिपरिया थाना बरगी

तहसील व जिला जबलपुर

----- अपीलार्थी

विरुद्ध

1- श्री सुनील कुमार दुबे पिता श्री भीकमलाल दुबे

निवासी 532/1 छोटा जैन मंदिर गढ़ा

जबलपुर

2- श्री सतीश कुमार पटेल

पिता स्व० श्री कोमल प्रसाद पटेल

निवासी 527/1 बड़ा जैन मंदिर के पास गढ़ा जबलपुर

3- श्री विष्णु कुशवाहा पिता श्री किशोरीलाल कुशवाहा

निवासी शॉप नं. 18, प्रथम तल राबरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,

कटंगा जबलपुर

4- म०प्र० शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- प्रति अपीलार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959

( श्रीमान द्वारा प्र०क० अपील 2191-एक/16 में पारित आदेश दिनांक

04-7-16 की शर्त क्रमांक 3 में वृद्धि एवं प्रस्तावित केताओं के नाम में

परिवर्तन बावत )

मान्यवर,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक अपील 2191-एक/16 में दिनांक 4-7-16 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है।

1/14

कमल सिंह

XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 2191-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
04-7-16	<p>यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-5-16 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । प्रकरण दिनांक 30-5-16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाता हूँ कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रति-अपीलार्थी श्री सुनील कुमार दुबे तथा श्री सतीश कुमार पटेल को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम चरगवां प.ह.नं. 38/37 (हर्दई) रा० नि० मं० बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि</p>	






A-1291-5/16 (अवकाश)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>खसरा नं. 59/1, 59/2,60 रकबा क्रमशः 1.08, 1.70, 0.850 हेक्टर तथा एक अन्य राजेश साहू को भूमि खसरा नं. 107/1 एवं 115 रकबा क्रमशः 0.160 एवं 0.98 कुल रकबा 1.06 हेक्टर को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त, तहसीलदार, बरगी को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक पर बैंक का ऋण बकाया है, जिसे चुकाने एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए पैसे की आवश्यकता होने के कारण तथा प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने पूर्व में कुछ भूमि राजेश साहू को विक्रय करने का अनुबंध किया गया था किंतु राजेश साहू अब भूमि कय नहीं कर रहे हैं इस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रति-अपीलार्थी क्रमांक 3 विष्णु कुशवाहा से राजेश साहू को विक्रय की जाने वाली भूमि का अनुबंध किया गया है।</p>	





XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 2191-एक/16


जिला - जबलपुर

स्वाम तवा टिकांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>जिसमें राजेश साहू द्वारा भी सहमति दी गई है । इसीलिए श्री विष्णु कुशावाहा को प्रति-अपीलार्थी क्रमांक 3 बनाया गया है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में इस न्यायालय द्वारा ही भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है ।</p> <p>3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं एवं अति० तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अति० तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इशतहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इशतहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । आवेदित भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि कय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से अपीलार्थी के हितों पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत उसके पास ग्राम चरणवां तहसील ग्रहपुरा में 3.53 हेक्टर सिंचित भूमि शेष बचती है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः यह अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी को, प्रति-अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 श्री सुनील कुमार दुबे तथा श्री सतीश कुमार पटेल को अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम चरणवां प०ह०नं० 38/37 (हरई) रा०नि०मं० बरणी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# 1291.5/16 (सकल)

स्थान तथा दिनांक	सर्ववाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>खसरा नं. 59/1, 59/2,60 रकबा क्रमशः 1.08, 1.70, 0.850 हेक्टर एवं प्रति अपीलार्थी क्रमांक 3 श्री विष्णु कुशवाहा को ग्राम चरणवां प0ह0नं0 38/37 (हरई) रा0नि0मं0 बरणी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 107/1 एवं 115 रकबा क्रमशः 0.160 एवं 0.98 कुल रकबा 1.06 हेक्टर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।</li><li>2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके ) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी ।</li><li>3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।</li></ol> <p>अपील तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: center;"> (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p>	

R/A

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालिवर

प्रकरण क्रमांक अपील 2191-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-11-16	<p>अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण लिया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री डी0के0 शुक्ला को उक्त आवेदन पर सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस अपील प्र0क0 2191-एक-16 में पारित आदेश दिनांक 4-7-16 द्वारा अपीलार्थी को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है। उनका कहना है कि प्रस्तावित क्रेता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 सुनील कुमार दुबे एवं सतीश कुमार पटेल द्वारा भूमि कय करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण अपीलार्थी अभी तक विक्रयपत्र का निष्पादन नहीं करा सका है और उक्त अवधि 3-11-16 को समाप्त हो गई है। उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित क्रेताओं को विक्रय की जाने वाली भूमि खसरा नं. 59/1, 59/2 एवं 60 रकबा क्रमशः 1.08, 1.70 एवं 0.850 हेक्टर को उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति डॉ0 पूजा के0 अग्रवाल पत्नि डॉ0 कमल आर0 अग्रवाल तथा मोनिका ताम्रकार पत्नि आशीष ताम्रकार एवं आशीष ताम्रकार पिता ओमप्रकाश ताम्रकार को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने एवं 4 माह का समय विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 सुनील कुमार दुबे एवं सतीश कुमार पटेल के शपथपत्र भी पेश किए गए हैं। शासकीय अधिवक्ता को उक्त आवेदन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। विचारोपरांत न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा इस प्र0क0 अपील 2191-एक-16 में पारित आदेश दिनांक 4-7-16 में संशोधन करते हुए अपीलार्थी को पूर्व में प्रस्तावित क्रेता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 सुनील कुमार दुबे एवं सतीश कुमार पटेल के स्थान पर डॉ0 पूजा के0 अग्रवाल पत्नि डॉ0 कमल आर0 अग्रवाल तथा मोनिका ताम्रकार पत्नि आशीष ताम्रकार एवं आशीष ताम्रकार पुत्र श्री ओमप्रकाश ताम्रकार को विक्रय करने की अनुमति देते हुए विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 3 माह और बढ़ाया जाता है।</p>	<p>2 4-11-16 Bhambhani 4-11-16</p> <p><i>[Signature]</i> सदस्य</p>